बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: आदेश :–

संख्या 6/वि0पत्रा0–24–42/2014– पटना/दिनांक :–

बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्य संचालन हेतु वाणिज्य–कर विभाग में विभागीय पदाधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर निर्णय के लिए निम्नरूपेण प्राधिकृत किया जाता है:–

क्र0सं0	प्रशाखा का नाम	विषय से संबंधित कार्य	शक्ति प्रत्यायोजन के उपरान्त निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार
1	2	3	4
1	निगरानी प्रशाखा	1. निगरानी शाखा संबंधी समीक्षात्मक बैठक का कार्य। 2. परिवाद प्राप्त होने पर सम्पुष्टि प्राप्त करना एवं जांच करवाने संबंधी कार्य। 3. माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त याचिका का तथ्य कथन तैयार करने हेतु संचिका तालिका अधिवक्ता को पृष्ठांकित किए जाने का कार्य। 4. आंतरिक निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन। 5. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शाखा से संबंधित पत्राचार संबंधी कार्य।	शाखा के वरीय प्रभारी
2	लेखा एवं बजट प्रशाखा	1. योजनाओं का मासिक अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग से पत्राचार। 2. योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग से पत्राचार। 3. कार्यालय कक्ष/केबिन आवंटन संबंधी कार्य। 4. सरकारी आवास आवंटन हेतु भवन निर्माण विभाग से पत्राचार। 5. यात्रा विपत्र का अनुमोदन। 6. कार्यालय व्यय (कार्यालय व्यय, वाहन, वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव, दुरभाष, विद्युत प्रभार, विधि प्रभार, वर्दी/पोशाक, भाड़े की गाड़ी का भुगतान आदि सहित) की स्वीकृति के मामले में रू0 25,001/– से 2,00,000/– तक की वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन।	शाखा के वरीय प्रभारी
3	वाणिज्य–कर विभाग के अन्तर्गत सभी प्रशाखा	1. पदाधिकारियों/कर्मियों को परीक्षा अनुमति। 2. पदाधिकारियों/कर्मियों का परिवहन भत्ता की स्वीकृति। 3. एच0आर0एम0एस0 में मेकर्स एवं चेकर्स बनाने संबंधी कार्य। 4. बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर तक), बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आप्त सचिव स्तर तक), बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति/विभागीय परीक्षा हेतु अनुमति/सरकारी आवास आवंटन संबंधी ऑन–लाईन आवेदन को भवन निर्माण विभाग को भेजे जाने वाले आवेदन का अग्रसारण। 5. अंकेक्षण शाखा द्वारा महालेखाकार एवं अन्य को सूचनायें/ऑकड़ें उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्य। 6. प्रशिक्षण शाखा द्वारा अराजपत्रित/वाह्य स्रोत/संविदागत कर्मियों के एक माह तक के प्रशिक्षण से संबंधित कार्य एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सामान्य पत्राचार/सूचनाएँ/ऑकड़ें उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्य। 7. वाणिज्य–कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित एवं अन्य सामान्य प्रकृति की संचिकाओं का निष्पादन। 8. शाखा के अन्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच कार्यों का बटवारा।	संबंधित शाखा के वरीय प्रभारी
		9. पदाधिकारियों/कर्मियों का पासपोर्ट निर्गमन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के बिन्दु पर अनुमोदन।	कर शाखा के वरीय प्रभारी

2. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– वि0पत्रा0–24–42/2014– 1483 पटना, दिनांक :– 04/05/26

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य–कर) के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/वाणिज्य–कर विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सभी शाखा के वरीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीतू
04-05-26

सरकार के अवर सचिव,

बिहार, पटना।

New Let.. For..811